निर्णय बइजालास मोहन लाल प्रतिहार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 292/प्रार्थना–पत्र/ 2019 तारीख दायरा:– 06.05.2019

उनवान

सिद्धार्थ सिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी झालावाड़ तह0 झा0पाटन

–प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर सिंह चौहान पुत्र बसन्तीलाल चौहान जाति चौहान निवासी कोठी के पास आनन्द विहार झालावाड
2. निधि चौहान पत्नी रामेश्वर सिंह चौहान पुत्री राम सिंह जाति चौहान निवासी कोठी के पास आनन्द विहार झालावाड़
3. परमेश्वर पुत्र बसन्तीलाल जाति चौहान निवासी कोठी के पास आनन्द विहार झालावाड़
4. उप पंजीयक झालावाड तहसील झा0पाटन
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित– विद्वान अभिभाषक श्री ओंकारेश्वर शर्मा – प्रार्थी
विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल महेश्वरी –अप्रार्थीगण
श्री अविनाश गुप्ता –अप्रार्थीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक – 28.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम झालावाड़ पटवारी हल्का झालावाड़ भू–अभिलेख निरीक्षक झालावाड़ तह0 झालरापाटन की खाता संख्या नया 706 पुराना 282 में कुल किता 4 रकबा 3 बीघा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के खाते दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 क्रमांक 1 की पत्नी व अप्रार्थी क्रमांक 3 भाई है। अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा पूर्व में हक हिस्से के रूप में इकरारनामा दिनांक 28.12.2016 एवं तदुपरान्त स्वतंत्र खातेदारी होने पर बेचाननामा दिनांक 30.7.2018 को प्रार्थी के पक्ष में क्रमशः इकरारनामा व बेचाननामा रूबरू गवाहान स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित व अंगूठा निशानी कर नोटरी तस्दीक करवाकर निष्पादित कर राशि तीस लाख रू0 में बेचान कर दी थी और यह तय किया गया था कि प्रार्थी जब भी चाहेगा अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रार्थी के निर्देशानुसार आराजी की बेनामा रजिस्ट्री करवा देगा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने 30 लाख रू0 में से 25 लाख रू0 प्राप्त कर लिए तथा भौतिक रूप से कब्जा व काश्त प्रार्थी को संभला दिया था जिस पर प्रार्थी काबिज है तथा प्रश्नगत आराजी को प्रार्थी किसी भी प्रकार के उपयोग में लेकर सुरक्षित रखेगा तथा उपजाऊ बनायेगा। अप्रार्थी 1 व 2 के मन में बदनियती आने से तथा प्रश्नगत आराजी की वेल्यू बढ़ने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हुए इकरारनामे का अप्रार्थीगण उल्लंघन कर रहे हैं तथा प्रश्नगत आराजी को अप्रार्थीगण 1 व 2 खातेदार होने से प्रार्थी को प्राप्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की विशेष इस्तदुआ तथा प्रकरण अत्यावश्यक प्रवृत्ति का होने के फलस्वरूप वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई तथा प्रकरण प्रथम दृष्टतया प्रार्थी का पक्ष का होने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 6.5.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर पाबन्द किया गया। न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब प्रार्थना–पत्र चाहा गया। दिनांक 4.6.2019

Scanned by CamScanner

को वकील क्रमशः श्री ब्रदीलाल महेश्वरी व अविनाश गुप्ता ने वकालतनामा अप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया था पत्रावली जवाब प्रार्थना–पत्र में रखी गई। दिनांक 15.7.2019 को वकील अप्रार्थीगणों ने अप्रार्थीगणों की तरफ से जवाब प्रार्थना–पत्र एवं फर्द दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये तथा पत्रावली बहस में रखी गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगणों ने बहस प्रार्थना–पत्र हेतु लिखित बहस क्रमशः दिनांक 14.8.2019 व 19.8.2019 को पेश की गई तथा पत्रावली आदेश में रखी गई।

वकील उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहसों का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन एवं दस्तावेजों का अधोपान्त अवलोकन करने के पश्चात् यह तय है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों से इकरारनामे के आधार पर खरीदी गई जमीन प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त में न्याय हित में लगाया जाना असंवैधानिक है क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी का सौदा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया तथा प्रार्थी द्वारा इकरारनामे को मान0 सिविल न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर इकरारनामे को वैधानिक रूप से घोषित कराना चाहिए था जो नहीं कराया गया है। प्रार्थना–पत्र पर अस्थाई रूप से न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टतया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष का मानते हुए प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 6.5.2019 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(मोहन लाल प्रतिहार)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड

Scanned by CamScanner